न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-09/2025
CMS NO:- 2025/131

दायर दिनांक- 02.06.2025
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

शिवराज सिंह आ0 औंकार सिंह जाति राजपूत नि0 बीजन्ता तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः- अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः-
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

-:निर्णयः-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बीजन्ता प0म0 कालामाल मे खसरा नम्बर 43/255 एवं 43/256 स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार स्वामी है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमिप र कृषि काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी सीधा साधा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, प्रार्थी की भूमि के पास रास्ता व अन्य खातेदारान की भूमि है जिस पर पास के भूमि वाले ताकतवर व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है तथा आये दिन सीमाओं को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। प्रार्थी ने अतिक्रमियों से विवाद नही बढे इस कारण अपनी भूमि का दिनांक 09.3.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया था उसके उपरान्त तहसीलदार नैनवॉ से पत्थरगढी करने का तकाजा किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी से कहा कि कुछ समय बाद आना, प्रार्थी जब भी जाता तब उससे यह कहकर कि कुछ समय बाद आना समय व्यतित करते रहे। दिनांक 30.4.2025 को भी प्रार्थी जब अप्रार्थी के पास गया तो यह कहकर भगा दिया कि न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश लाओ तब तुम्हारा काम होगा। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश कर धारा 111, 128 एल. आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एकपक्षीय बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता की बहस, पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों, सीमाज्ञान रिपोर्ट्स का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बीजन्ता के खसरा नम्बर 43/255 व 43/256 भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/- रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा